2016
26.8.25

बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या–14/अ0प्र0–14–83/2025 9184 /पटना, दिनांक– 26.8.25

संवेदक Rajnish Kumar Sah (Reg. No. 1160168) At-Harichandarpur, P.O+P.S- Jalagadh, Dist-Purnea को कार्य प्रमंडल, वायसी के अधीन MMGSY (GEN) योजनान्तर्गत **सिंधानिया से मीरपुर** तक पथ का निर्माण (एकरारनामा संख्याः– 20/SBD/2016-17) एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य आवंटित किया गया। जिसके एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 17.12.2016 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 16.12.2017 है। संवेदक द्वारा वास्तविक रूप से उक्त पथ का निर्माण कार्य दिनांक 26.11.2021 को पूर्ण किया गया है। निर्माण कार्य के पश्चात् दिनांक 27.11.2021 से दिनांक 27.11.2026 तक संवेदक को अनुरक्षण कार्य करना है।

उक्त पथ में निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वायसी के पत्रांक 894 दिनांक 30.04.2024, पत्रांक 931 दिनांक 08.05.2024 एवं पत्रांक 2233 दिनांक 09.09.2024 द्वारा उक्त पथ में पंचवर्षीय अनुरक्षणं कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार नोटिस दिया गया परन्तु संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य पूर्ण करने में अभिरूचि नहीं ली गई।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वायसी के सकारण आदेश ज्ञापांक 2538 दिनांक 24.09.2024 द्वारा एकरारनामा संख्या :– 20/SBD/2016-17 को विखंडित कर दिया गया।

मुख्य अभियंता–04 (पूर्णियाँ) ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 1703 अनु0 दिनांक 06.11.2024, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियाँ के पत्रांक 1515 अनु0 दिनांक 25.10.2024 एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वायसी के पत्रांक 2644 अनु0 दिनांक 05.10.2024 द्वारा पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य एकरारनामा के अनुसार एकरारित अवधि तक लंबित/अपूर्ण रखने एवं Program of Works के अनुसार समानुपातिक अनुरक्षण कार्य को अपूर्ण/लंबित रखने के कारण संवेदक को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया। उक्त अनुशसां के आलोक में विभागीय पत्रांक 3444 दिनांक 19.11.2024 द्वारा 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया। पुन विभागीय पत्रांक 3717 दिनांक 17.12.2024 द्वारा संवेदक को स्मारित किया गया।

संवेदक Rajnish Kumar Sah (Reg. No. 1160168) At-Harichandarpur, P.O+P.S- Jalagadh, Dist-Purnea द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया, जिसके आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वायसी से पत्रांक 317 अनु0 दिनांक 24.01.2025 के माध्यम से मंतव्य की मॉग की गई थी। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वायसी के पत्रांक 350 अनु0 दिनांक 19.02.2025 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि संवेदक द्वारा स्थल पर वर्त्तमान समय तक अनुरक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है। वर्त्तमान में पथ की स्थिति काफी जर्जर है।

इससे स्पष्ट होता है कि अनुरक्षण कार्य अपूर्ण रहने के कारण आम जनता को योजना का वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा अकारण अनुरक्षण कार्य लंबित रखने के लिए संवेदक पूर्णतया दोषी है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) के आलोक में संवेदक Rajnish Kumar Sah, At-Harichandarpur, P.O+P.S- Jalagadh, Dist-Purnea के निबंधन संख्या–1160168 को अगले 04 (चार) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

26/8/25

(मो0 सुल्तान अहमद)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–83 / 2025 9164 / पटना, दिनांक– 26.8.25

प्रतिलिपि– संवेदक Rajnish Kumar Sah, At-Harichandarpur, P.O+P.S- Jalagadh, Dist-Purnea, Bihar, Pincode: 854327, Email Id-kumarrajnish.purnea01 @gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

26/8/25
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–83 / 2025 9164 / पटना, दिनांक– 26.8.25

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधान विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग, बिहार, पटना / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियता / सभी कार्यपालक अभियंता / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/8/25
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–83 / 2025 9164 / पटना, दिनांक– 26.8.25

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

26/8/25
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–83 / 2025 9164 / पटना, दिनांक– 26.8.25

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक / आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/8/25
अभियंता प्रमुख